

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा
पत्रांक: 3074/14-1 आगरा : दिनांक: दिसम्बर, 15, 2022

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक
यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा।

विषय : जनपद आगरा में उ०प्र० जल निगम द्वारा नमानि गंगे योजना के अन्तर्गत आगरा सीवरेज योजना में प्रस्तावित डी०एस०टी०पी० के निर्माण हे कुल 0.9024 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका संशोधित प्रस्ताव जो इस कार्यालय को दिनांक 13.12.2022 को प्राप्त हुआ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि आपका विषयगत प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन करने पर आपके प्रस्ताव में निम्न कमियाँ पायी गयी।

अतः आप कमियों का निस्तारण कर अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित स्थल के फोटोग्राफ संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की टोपोशीट संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का जियो रिफ्रेंश मैप संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनीकरण योजना संलग्न नहीं है।

भवदीय

AK

(आदर्श कुमार)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 3074 / दिनांकित

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी बॉईपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप बिन्दु सं०-4 के सम्बन्ध में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 1.8048 हे० वनभूमि का चयन कर चयनित स्थल की जी.पी.एस. रीडिंग प्रयोक्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं उक्त प्रस्तावित भूमि 1.8048 हे० पर रोपण एवं 10 वर्ष के अनुरक्षण सहित का प्राक्कलन तैयार कर तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

AK

(आदर्श कुमार)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

o/c